70वी बोर्ड बैठक

दिनांक - 07-02-2004

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–02–2004 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 70वीं बैठक दिनांक 07–02–2004 को आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे :–

1– श्री राजीव कुमार
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ। — अध्यक्ष

2– श्री एस0के0त्रिवेदी
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। — उपाध्यक्ष

3– श्री संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी विकास
उ0प्र0शासन,लखनऊ — सदस्य

4– श्री अमित मोहन प्रसाद
जिलाधिकारी,
मेरठ। — सदस्य

5– श्री आर0के0गोयल
अपर निदेशक–उद्योग,
मेरठ। — सदस्य

6– श्री अनिल राज कुमार
नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ। — सदस्य

7— श्री एस0के0जमां — सदस्य
चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर
(प्रतिनिधि—आयुक्त, एन0सी0आर0)

8— श्री राजपाल कौशिक — सदस्य
सहयुक्त नियोजक
(प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग उ0प्र0शासन, लखनऊ)

9— श्री वाई0पी0शर्मा — सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता
जल निगम, मेरठ।

10— श्री एस0के0सिंह — सदस्य
अपर निदेशक—कोषागार एवं पेशन
मेरठ।

11— श्री राजकुमार सिंह,
पार्षद, नगर निगम मेरठ।

12— श्री मंगल सैन — सदस्य
पार्षद, नगर निगम मेरठ।

13— मौहम्मद जाहिद अंसारी — सदस्य
पार्षद, नगर निगम मेरठ।

14— मौहम्मद अब्बास — सदस्य
पार्षद, नगर निगम मेरठ।

15— श्री अभय कुमार बाजपेई — संयोजक
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

मद संख्या –1

प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03–12–2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03–12–2003 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

मद संख्या –2

प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03–12–2003 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन मद सं0–2(बैठक 25.11.2002)

श्री मंगल सेन, पार्षद, सदस्य प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह आपत्ति की गयी कि कंकरखेडा से नगलाताशी तक सडक बनायी जा रही है वह क्षतिग्रस्त हो गयी है। निर्णय लिया गया कि जो ठेकेदार सडक का निर्माण कर रहा है उसी से सडक ठीक करायी जाये तथा भविष्य में जब भी सडक का आगणन बनाया जाये उसमें नालियों के निर्माण का भी आगणन सम्मिलित किया जाये।

अनुपालन मद सं0–3(बैठक 25.11.2002)

गंगानगर में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों से तत्काल भवन खाली कराये जाये तथा उन्हे बेचने की कार्यवाही की जाये, मेरठ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी जिन भवनों मे रह रहे है उनसे उनके वेतन का 10 प्रतिशत किराये के रूप में वसूल किया जाये।

प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को पार्षद कक्ष आवंटित किये जाने के संबंध में विशेष सचिव आवास द्वारा यह निर्देश दिये गये कि चूँकि किसी अन्य प्राधिकरण में पार्षद कक्ष स्थापित नहीं किये गये है तथा प्राधिकरण मित्र योजना के अन्तर्गत सम्मानित व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गयी है अतः मेरठ विकास प्राधिकरण में भी यदि प्राधिकरण मित्र योजना स्थापित है तो उसी में सम्मानित व्यक्तियों को बैठने हेतु व्यवस्था रहेगी । शासनादेशों का संकलन, मास्टर प्लान, प्राधिकरण की योजनाओ से सम्बन्धित ड्राइंग आदि भी रख दिये जाये।

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 68 है0 अधिग्रहीत भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण है उसका राजस्व विभाग सें व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रत्येक अतिक्रमण करने वाले की जानकारी ली जाये कि कितना एरिया किसके पास है, निर्माण क्या है, क्या मुआवजा उठा लिया गया है आदि सभी सुसंगत बिन्दुओ पर इसकी विस्तृत जानकारी 31मार्च तक कर ली जाये एवं अग्रिम कार्यवाही के प्रस्ताव सहित प्रस्तुत की जाये।

बोर्ड बैठक दिनांक 26.3.2003

अनुपालन मद सं0–9

मेरठ में बारातघर के सरल शमन योजना के अन्तर्गत तथा स्वीकृत हेतु प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा अभी तक कार्यवाही न किए जाने का कारण पूँछा गया तथा निर्देश दिए कि माह फरवरी,04 तक कार्यवाही कर ली जाये।

बोर्ड बैठक दिनांक 3.12.2003

मद संख्या –7

मेरठ विकास प्राधिकरण की ''स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स योजना'' में ''जेम्स एण्ड ज्वैलरी ट्रेनिंग कम प्रोडेक्ट डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट'' हेतु भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में।

अपर निदेशक उद्योग को यह निर्देश दिये गये कि ''जेम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशेन कान्सिल, मुम्बई को अर्द्ध शासकीय पत्र भेज दे कि वह एक सप्ताह मे आकर निरीक्षण कर ले अन्यथा यहॉ से लोग मुम्बई जाकर संपर्क करें।

बोर्ड बैठक दिनांक 07.2.2004

मद संख्या–03

श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस–द्वितीय पाकेट ''ए'' में स्थित उच्च आय वर्ग के भूखण्डों को माननीय विधायक/सांसदों को शासनादेश के कम में विधायक कोटे से भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शासनादेश सं0–4982/9–आ–1–99–79बैठक/99 दिनांक 19.12.99 के

अनुसार कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त आवंटन से पूर्व शासनादेश सं0–5402(1) /9–आ –2000–699डीएस/1998 दिनांक 29.12.2000 में निहित निर्देशानुसार उनसे शपथ पत्र ले लिया जाये। तथा प्रश्नगत शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

मद संख्या–04

वेद व्यासपुरी आवासीय योजना के कृषको को अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में जो श्रेणीयां बतायी गयी है उसकी पुष्टि कर लें कोई श्रेणी छूट तो नही गयी है। प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

मद सं0–5

कारगिल में शहीद हुए परिवार हेतु श्रद्धापुरी फेस–2 योजनान्तर्गत रिटेल आउट लेट पेट्रोल पम्प हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प के साथ हेल्थ सेन्टर का निर्माण किया जाना उचित नही होगा। अत : यदि इंडियन आयल कारपोरेशन सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2920 वर्गमीटर भूमि लेने पर सहमत हो तो नियमानुसार दे दिया जाये । यदि इंडियन आयल कारपोरेशन सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2920 वर्गमीटर भूमि लेने की सहमति देते है तो हेल्थ सेन्टर हेतु इस योजना अन्यत्र भूमि ले आऊट प्लान में आरक्षित कर दी जायेगी ।

मद सं0–6

पल्लवपुरम आवासीय योजना में लगभग 26000 वर्ग मीटर शैक्षिक संस्था भू उपयोग हेत दर्शित भूखण्ड के "आवासीय" भू उपयोग में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव।

विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि निम्न भू उपयोग से उच्च भू उपयोग में परिवर्तित किया जा रहा है इसलिए जोनिंग रेगूलेशन्स के प्राविधानानुसार प्रभाव शुल्क की देयता भी होगी । प्रभाव शुल्क की धनराशि को अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्राधिकरण के खाते में स्थानान्तरित किया जाए। भविष्य में भी यदि विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न

भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तित किया जाता है तो प्रभाव शुल्क को अवस्थापना सुविधाओं हेतु रखा जाए।

मद सं0–7

गंगानगर, सैनिक विहार आवासीय योजना में स्थिति अलोकप्रिय भवनों का आवंटन का प्रस्ताव

प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि हडको की जो टीम कास्टिंग कर रही है उसे 4मई,1998 का अलोकप्रिय सम्पत्ति से सम्बन्धित शासनादेश भी दिखा दिया जाये तथा हडको द्वारा जो कीमत निर्धारित की जायेगी वह अन्तिम होगी और उन भवनों को नीलामी में माध्यम से विक्रय किया जाये तथा इस हेतु आकर्षक विज्ञापन मेरठ के समाचार पत्रों के अतिरिक्त दिल्ली के भी प्रमुख समाचार पत्र में दिया जाये। यह विज्ञापन 25 फरवरी,04 तक निकाल दिया जाये।

मद सं0–8

मेरठ विजन स्टेटमैन्ट व पंचवर्षीय कार्य–योजना की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव

प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त विजन स्टेटमेन्ट में 20 प्रस्तावों में एक और प्रस्ताव स्लाटर हाउस का बढाते हुए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया,क्योंकि इस क्षेत्र में एक आधुनिक स्लाटर हाउस की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण एवं रोजगार दोनो को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन किया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में सेटलाइट एजमेनरी सर्वे शीघ्र करा लिया जाये । मुख्य नगर नियोजक ने बताया कि इसमें 15 लाख का खर्च अनुमानित है। अत : निर्णय लिया गया कि चूँकि इससे नगर निगम का भी हित सम्मिलित है इसलिए इसका आधा खर्चा नगर निगम व आधा खर्चा प्राधिकरण वहन करेगा ।

मद सं0–9

मेरठ महायोजना–2021 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों हेतु गठित समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण एवं फाईनल महायोजना की स्वीकृति का प्रस्ताव

प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त उक्त प्रस्ताव के पुन : परीक्षण हेतु जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसके

सदस्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम निय़ोजन विभाग, उ0प्र0लखनऊ, नगर आयुक्त, नगर निगम,मेरठ, श्री एस0के0जमा, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0, मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण,. प्राधिकरण बोर्ड के मनोनित दो सदस्य होगें तथा सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ, इस समिति के संयोजक होगे। यह समिति महायोज़ना का पुनः परीक्षण करेगी एवं 20 फरवरी,04 तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक करके अन्तिम रूप देगी, यदि इसमें संशोधन होना है तो पुन : आपत्ति प्राप्त करके उन पर सुनवाई के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।यदि इसमें संशोधन अपेक्षित न हो तो इसकी स्वीकृत हेतु एक माह के भीतर ही बोर्ड की बैठक आयोजित कर ली जाये। उपरोक्त समिति वेद व्यासपुरी में रेलवे हाल्ट हेतु रेलवे विभाग से विचार–विमर्श कर लें ।

अनुपूरक मद सं0–1

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 को मेरठ बदायूं मार्ग से जोड़ने हेतु बाईपास के निर्माण के संबंध में।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । तद्नुरूप संशोधन मास्टर प्लान में समायोजित कर लिए जाये।

अनुपूरक मद सं0–2

मेरठ ऐजुकेशन एवं रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तावित डेन्टल/मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु मेरठ महायोजना–2001 में दर्शित कृषि हरित पट्टी भू–उपयोग में अनुमति दिये जाने संबंधित प्रस्ताव।

विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गयाकि जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में 70 बीं बोर्ड बैठक में जो मेरठ महायोजना–2021 हेतु जो कमेटी गठित की गयी है उसी के समक्ष इस प्रस्ताव के निस्तारण हेतु रखा जाये तथा इसी तरह के अन्य प्रकरण हों तो उसे भी उक्त समिति के समक्ष रखा जाये।

अनुपूरक मद सं0–3

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही महिला श्रीमती चन्दनदेवी को वैम्बे योजना के अंतर्गत आश्रय

उपरोक्त के संबंध में विशेष सचिव आवास, उ0प्र0 शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा वैम्बे योजना के अंतर्गत एक आवास हेतु

स्वीकृत धनराशि रु0 47300/– में से उसी की भूमि पर 50 प्रतिशत धनराशि सूडा द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा वहन करके आवास निर्मित करके श्रीमती चन्दन देवी को दिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा बैठक में उठाये गये निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. श्री राजकुमार, पार्षद द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी भी योजना में गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु प्राईमरी स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राईमरी स्कूल की आवश्यकता हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी से पत्राचार द्वारा ज्ञात कर लिया जाये इसके अतिरिक्त गरीब व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने हेतु चिकित्सालय के लिए भूमि की आवश्यकता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी पत्राचार कर लिया जाये।
2. जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि गैस गोदामों को शहर से बाहर ले जाने हेतु मानचित्र स्वीकृत किये जाने में इम्पेक्ट फीस के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लियां गया कि यदि इन्डस्ट्रीयल एरिया में गैस गोदाम का निर्माण किया जाता है तो इम्पेक्ट फीस नही ली जायेगी और यदि कृषि भूमि पर गैस गोदाम का निर्माण किया जाता है तो इम्पेक्ट फीस लेने के पश्चात मानचित्र स्वीकृत किया जाये। विकास प्राधिकरण द्वारा जिन स्थलो पर गैस गोदाम हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराये जा सकते है तथा महायोजनानुसार जिन भू–उपयोगों में गैस गोदाम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, उनकी एक प्रति जिलाधिकारी, मेरठ व एक प्रति इंडियन आयल कारपोरेशन को उपलब्ध करा दी जाये इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये गये कि जहॉ ट्रको के आवागमन में असुविधा न हो तथा गैस गोदाम अनुमन्य हो वहॉ ही गैस गोदाम के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापान किया गया ।